न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान जसपाल सिंह बनाम इन्द्र सिंह

प्रकरण संख्या 32/21/ अन्तर्गत धारा 53, 88 ।

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं … जो इस … पालना …
30/01/23	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्ण डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 32/2021

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.जसपाल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का। 2. वीर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का। 3. हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का।	1. इन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलराज सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 09.04.2021

उपस्थित: 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता वादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

--निर्णय-- दिनांक: 17.11.2021

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एस की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 122/117 के मु0नं0 59 की 5.440 हैक्टर नहरी बारानी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 के नाम 0.907 हैक्टर व वादी संख्या 2 के नाम 0.906 हैक्टर तथा वादी संख्या 3 के नाम 0.907 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 1 पंजाब पुलिस में कार्यरत होने व वादी संख्या 2 भारतीय सेना में कार्यरत होने के कारण पंजाब में आबाद है तथा अपने हिस्सा की उपर्युक्त कृषि भूमि अब तक वादी संख्या 3 के द्वारा अथवा अन्य काश्तकारों व प्रतिवादीगण के माध्यम से काश्त करवाते रहे है। उक्त मुश्तर्का खाता में 8 बीघा भूमि नहरी और शेष 13 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि है तथा खाता मुश्तर्का है, जिससे खातेदारों के मध्य काश्त संबधी परेशानियां उत्पन्न होने लगी है। खिंचाई भराई और पानी की बारी के संबध में भी परस्पर झगडे होने की सम्भावना बन चुकी है। उक्त मुश्तर्का भूमि का अब तक कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए विधि अनुसार प्रत्येक खातेदार भूमि के प्रत्येक बिस्वा में अपने हिस्सा के अनुसार अधिकार रखता है, इसलिए भूमि का किस्म अनुसार किलावाईज विभाजन किया जाना न्याय संगत है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण को इस मुश्तर्का भूमि का किला वाईज विभाजन करवाकर अलग खाता किये जाने हेतु अनुरोध किया तो वे टाल मटोल करते रहे और आज से अर्सा करीब 5 वर्ष पूर्व जो वादीगण ने उन्हें भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर वादीगण के हिस्सा की भूमि का कब्जा वादीगण को सौंप देने का अनुरोध किया तो वे खाता विभाजन करने और वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि का कब्जा सौपने से साफ इन्कार कर गये। यही वाद कारण है। वादाधीन भूमि वादी संख्या 1 व 2 के पिता, प्रतिवादी संख्या 3 हरनेक सिंह व प्रतिवादी के पिता तारा सिंह ने संयुक्त खरीद की थी एंव वादी संख्या 1 व 2 को वादी संख्या 3 ने उनके नाम दर्ज भूमि जरिये पंजीकृत दान विलेख अन्तरित की गई, जिनके आधार पर वादीगण के नाम भूमि खातेदारी दर्ज हुई है, वादीगण भूमि के स्वामी एंव अधिभोगी है तथा भूमि का किलवाईज विभाजन करवाकर अलग से खाता करवा पाने के हकदार है और कब्जा काश्त कर पाने के हकदार है। वादग्रस्त भूमि तहसील श्रीकरणपुर के वाके चक 1 एस में स्थित होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :- चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मुरब्बा नम्बर 59 की 2.024 हैक्टर नहरी भूमि व 3.416 हैक्टर बारानी कुल 5.440 हैक्टर नहरी बारानी भूमि का किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी भूमि का किलावाईज विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा की 2.720 हैक्टर भूमि के संबध में विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जावे व किलावाईज विभाजन के उपरान्त वादीगण के किलाजात से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उन्हें बेदखल किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी [illegible] उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए ग[illegible] जवाब [illegible]ट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय [illegible]ही की गई है तथा प्रतिवादी इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू काय[illegible] किए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ह[illegible] बहस वकील वादीगण की सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण के द्वारा निवेदन किया

अधिकारी (राजस्व) ... पुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादीगण के नाम 2.720 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वादीगण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में तनकीयात कायम न की जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है। शेष खाता एंव रहन बदस्तुर रहें।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 1 एस पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मु.न. 59 की भूमि में वादीगण के हिस्सा में 2.720 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजेलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

जसपाल सिंह आदि बनाम इन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53,88,183** आरटीए मुकदमा नं. **32/2021**

निर्णय दिनांक :- 17.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री अशोक जोशी** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 1 एस पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मु.न. 59 की भूमि में वादीगण के हिस्सा में 2.720 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 17.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 30/11/21

क्रमांकः राजस्व/ 2021/ 481
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 32/2021

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1.जसपाल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का। 2. वीर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का। 3. हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का।	1. इन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलजीत सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 4. बलराज सिंह पुत्र तारा सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 09.04.2021

उपस्थितः 1.श्री अशोक जोशी अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांकः 30.01.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एस की जमाबंदी सम्वत 2075-78 के खाता संख्या 122/117 के मु0नं0 59 की 5.440 हैक्टर नहरी बारानी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम मुश्तर्का खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें वादी संख्या 1 के नाम 0.907 हैक्टर व वादी संख्या 2 के नाम 0.906 हैक्टर तथा वादी संख्या 3 के नाम 0.907 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी संख्या 1 पंजाब पुलिस में कार्यरत होने व वादी संख्या 2 भारतीय सेना में कार्यरत होने के कारण पंजाब में आबाद है तथा अपने हिस्सा की उपर्युक्त कृषि भूमि अब तक वादी संख्या 3 के द्वारा अथवा अन्य काश्तकारों व प्रतिवादीगण के माध्यम से काश्त करवाते रहे है। उक्त मुश्तर्का खाता में 8 बीघा भूमि नहरी और शेष 13 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि है तथा खाता मुश्तर्का है, जिससे खातेदारों के मध्य काश्त संबधी परेशानियां उत्पन्न होने लगी है। [illegible] पानी की बारी के संबध में भी परस्पर झगडे होने की सम्भावना बन [illegible] त मुश्तर्का भूमि का अब तक कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए विधि [illegible] प्रत्येक खातेदार भूमि के प्रत्येक बिस्वा में अपने हिस्सा के [illegible] भूमि का किस्म अनुसार किलावाईज विभाजन किया जाना न्याय संगत है। [illegible] ने कई बार प्रतिवादीगण को इस मुश्तर्का भूमि का किला वाईज विभाजन करवाकर अलग खाता किये जाने हेतु अनुरोध किया तो वे टाल मटोल करते रहे और आज से अर्सा करीब 5 वर्ष पूर्व जो वादीगण ने उन्हें भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर वादीगण के हिस्सा की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

कब्जा वादीगण को सौंप देने का अनुरोध किया तो वे खाता विभाजन करने और वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि का कब्जा सौपने से साफ इन्कार कर गये। यही वाद कारण है। वादाधीन भूमि वादी संख्या 1 व 2 के पिता, प्रतिवादी संख्या 3 हरनेक सिंह व प्रतिवादी के पिता तारा सिंह ने संयुक्त खरीद की थी एंव वादी संख्या 1 व 2 को वादी संख्या 3 ने उनके नाम दर्ज भूमि जरिये पंजीकृत दान विलेख अन्तरित की गई, जिनके आधार पर वादीगण के नाम भूमि खातेदारी दर्ज हुई है, वादीगण भूमि के स्वामी एंव अधिभोगी है तथा भूमि का किलवाईज विभाजन करवाकर अलग से खाता करवा पाने के हकदार है और कब्जा काश्त कर पाने के हकदार है। वादग्रस्त भूमि तहसील श्रीकरणपुर के वाके चक 1 एस में स्थित होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :- चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मुरब्बा नम्बर 59 की 2.024 हैक्टर नहरी भूमि व 3.416 हैक्टर बारानी कुल 5.440 हैक्टर नहरी बारानी भूमि का किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी भूमि का किलावाईज विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सा की 2.720 हैक्टर भूमि के संबध में विभाजन कर अलग से खाता कायम किया जावे व किलावाईज विभाजन के उपरान्त वादीगण के किलाजात से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उन्हें बेदखल किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा प्रतिवादी इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 1 एस पटवार हल्का मलकाना खूर्द, भू.अ. नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मु.न. 59 की भूमि में वादीगण के हिस्सा में 2.720 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम [illegible] [illegible] में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा [illegible] प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 1 एस पटवार हल्का मलकाना खुर्द, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 122/117 के मु.न. 59 की भूमि में वादीगण के हिस्सा में 2.720 हैक्टर भूमिका बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जसपाल सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का।(0.907 है.) वीर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का।(0.906 है.) हरनेक सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति महजबी निवासी 12 एच मोहलां हाल आबाद पिण्ड जानीसर चक जानीसर तहसील जलालाबाद पश्चिम जिला फाजिल्का।(0.907 है.)	1 एस	59	2 3 4/1 8 ता 12 13 19/1 20 21 22/1	0.253 हेक्टेयर 0.253 हेक्टेयर 0.127 हेक्टेयर 1.265 हेक्टेयर 0.253 हेक्टेयर 0.126 हेक्टेयर 0.253 हेक्टेयर 0.127 हेक्टेयर 0.063 हेक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.10 2.10 1.05 10.50 2.10 1.05 2.10 1.05 0.52

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण के हिस्सा की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:28:03 IST
Reason: SelfAttested